कार्यालय, आयुक्त, आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक एम.डी.एम./76/2004/646 भोपाल, दिनांक 13-1-2004

प्रति,

1. कलेक्टर (संबंधित)
   मध्यप्रदेश.
2. सहायक आयुक्त,
   आदिवासी विकास,
   मध्यप्रदेश.
3. जिला संयोजक,
   आदिम जाति कल्याण,
   मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों को रूचिकर भोजन देने विषयक.

संदर्भ.—मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का पत्र क्रमांक एफ 23/8/94/25/2, दिनांक 8/9-1-2004.

माननीय मुख्य मंत्रीजी, की नववर्ष 2004 की घोषणा के संदर्भ में लिये गये निर्णय अनुसार समस्त शासकीय/शासन सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को पूरक आहार के रूप में दिये जा रहे दलिया/खिचड़ी के स्थान पर छात्रों की रूचि के अनुरूप पूर्ण आहार के रूप में दाल-रोटी, सब्जी-रोटी एवं दाल-चावल, चावल-दाल-सब्जी दिये जाने की व्यवस्था 15 जनवरी, 2004 से प्रत्येक जिले के एक ग्राम में एवं 1-2-2004 से सभी शालाओं में लागू किया जाना है. परिवर्तित व्यवस्था को गुणवत्ता के आधार पर प्रभावी रूप से कार्यान्वियन के संदर्भ में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :—

(1) परिवर्तित पके भोजन के कार्यान्वयन की व्यवस्था दिनांक 15 जनवरी, 2004 को जिले के सर्वाधिक पिछड़े एक ग्राम के स्कूल में प्रारंभ की जावे.

(2) प्रदेश के समस्त आदिवासी विकासखण्ड क्षेत्रान्तर्गत समस्त प्राथमिक विद्यालयों में यह व्यवस्था 1 फरवरी, 2004 से संचालित की जाए.

(3) आदिवासी उपयोजना के 58 नगरीय निकायों की सर्वाधिक गरीब अनुसूचित जाति बस्ती के एक स्कूल में 15 जनवरी 2004 से तथा इन निकायों की समस्त शालाओं में यह कार्यक्रम 1 फरवरी, 2004 से संचालित किया जावें.

(4) परिवर्तित व्यवस्था में गुणवत्ता बनाए रखने की दृष्टि से इस व्यवस्था को कार्यान्वित करने का दायित्व ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों के स्थान पर संबंधित शाला के पालक एवं शिक्षक संघ को दिया जाए.

इस कार्यक्रम को संचालित करने हेतु शाला स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :—

(अ)	प्रधान पाठक या शाला प्रभारी शिक्षक	—	अध्यक्ष
(ब)	शिक्षक पालक संघ के दो अशासकीय सदस्य	—	सदस्य
(स)	कार्यक्रम प्रभारी शिक्षक	—	सदस्य-सचिव.

शिक्षक पालक संघ के सदस्यों का कार्यकाल दो माह का होगा. दो माह बाद अन्य दो सदस्य समिति के सदस्य होंगे.

(5) व्यवस्था के कार्यान्वियन में स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाये.

(6) प्रस्तावित व्यवस्था में रसोइये के पारिश्रमिक पर होने वाले व्यय को कम करने के लिये ग्राम में संचालित आंगनवाड़ी सहायिका/प्रेरक तथा ग्राम स्तर के अन्य कार्यकर्ताओं से भोजन पकाने का कार्य लिया जाए जिसके लिये संबंधित को अतिरिक्त न्यूनतम राशि का भुगतान किया जाए.

2. परिवर्तित व्यवस्था के आधार पर छात्रों को देय रूचिकर भोजन (गेहूं एवं चॉवल क्षेत्र) में लगने वाली सामग्री तथा उस पर होने वाले व्यय का आंकलन-पत्र के संदर्भित शासन पत्र के साथ संलग्न भेजा गया है.

3. परिविर्तत व्यवस्था को सुचारू एवं अल्प अवधि में संचालन किया जाना एक चुनौती पूर्ण कार्य है. अत: जिले की व्यवस्था की सतत् निगरानी का दायित्व स्वयं निर्वहन करें. व्यवस्था कार्यान्वयन में निम्नलिखित कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में संपादित की जावे:—

(1) परिवर्तित व्यवस्था दिनांक 15-01-2004 से जिले में सर्वाधिक पिछड़े एक ग्राम में प्रारंभ की जावे.

(2) परिवर्तित व्यवस्था जिले के समस्त आदिवासी विकासखण्डों में 1 फरवरी, 2004 से संचालित की जाना है. अत: जिले के समस्त आदिवासी विकासखण्डों में व्यवस्था कर जानकारी आयुक्त, आदिवासी विकास को फैक्स के माध्यम से दिनांक 20-01-2004 तक भेजी जाना सुनिश्चित की जाए.

4. योजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण प्रतिमाह निम्नानुसार अधिकारियों द्वारा किया जाएगा.

(1)	मण्डल संयोजक	—	कम से कम 50 शालाएं.
(2)	मध्यान्ह भोजन निरीक्षक	—	कम से कम 40 शालाएं (प्रत्येक वि. ख. में कम से कम 5 शालाएं).
(3)	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	—	कम से कम 30 शालाएं.
(4)	सहायक परियोजना प्रशासक/जिला संयोजक	—	कम से कम 15 शालाएं.
(5)	सहायक आयुक्त/परि. प्रशासक	—	कम से कम 5 शालाएं.

उपरोक्त क्रमांक 1, 2 एवं 3 के अधिकारी माह में अलग-अलग शालाओं का निरीक्षण करेंगे. इस हेतु निरीक्षण रोस्टर बनाया जाएगा एवं सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा आयुक्त आदिवासी विकास को भेजी जाने वाली जानकारी में उल्लेख किया जाये.

5. पंचायत/नगरीय निकायों के बैंक की पासबुक में दिनांक 29-2-2004 में जमा राशि, नई व्यवस्था अनुसार शिक्षक/पालक संघ द्वारा तत्काल प्राप्त कर प्राथमिक शाला में नवीन केश बुक संधारित की जाये. नवीन व्यवस्था अनुसार केश बुक में व्यय की गई राशि का विवरण अंकित किया जाये.

6. दिनांक 29-2-2004 के पश्चात् पंचायतों/नगरीय निकायों के पास शेष रहा खाद्यान्न शिक्षक पालक संघ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये.

7. उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों से प्राप्त नगद राशि/शेष खाद्यान्न आदि की सूची तैयार कर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त/जिला संयोजकों को एक-एक प्रति उपलब्ध कराई जाये. उक्त प्राप्त सूची का एकजाई संकलन विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा तथा जिला स्तर पर जिला अधिकारी द्वारा एकजाई जानकारी संकलन कर आयुक्त आदिवासी विकास को उपलब्ध कराई जाये.

8. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत मासिक प्रगति प्रतिवेदन तथा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रतिमाह सहायक आयुक्त/जिला संयोजक माह की 15 तारीख तक एकजाई संकलन विकासखण्डवार एवं जिलेवार जानकारी आयुक्त आदिवासी विकास को भेजी जाए.

9. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अन्तर्गत आवंटित राशि से परिवर्तित मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु व्यय करें व जिले में व्यय होने वाली राशि का आंकलन कर पृथक् से अतिरिक्त राशि की मांग की जाए.

10. जिला स्तर पर उक्त योजना के क्रियान्वयन के संबंध में तत्काल समुचित कार्यवाही की जाए.

हस्ता./-
आयुक्त,
आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश.

पृ. क्र./एम.डी.एम./76/2004/647 भोपाल, दिनांक 13-1-04

प्रतिलिपि.—

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल.
2. संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत संबंधित मध्यप्रदेश.

हस्ता./-
आयुक्त,
आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश.

कार्यालय, आयुक्त, आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक म. भो./2004/80/1706 — भोपाल, दिनांक 30-1-2004

प्रति,

1. संबंधित कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश.
2. सहायक आयुक्त, (संबंधित)
   आदिवासी विकास,
   मध्यप्रदेश.
3. जिला संयोजक, (संबंधित)
   आदिम जाति कल्याण,
   मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत पंचायतों/नगर निकायों के खातों में बचत राशि के संबंध में.

माननीय मुख्य मंत्री की नववर्ष 2004 की घोषणा के संदर्भ में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यान्ह भोजन के संबंध में निर्देश शासन के पत्र क्रमांक/एफ/23/8/94/25/2 भोपाल, दिनांक 8, 9-1-2004 द्वारा तथा आयुक्त आदिवासी विकास के पत्र एम.डी.एम./76/2004/646, दिनांक 13-1-2004 द्वारा आपको दिए गये हैं.

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अन्तर्गत जिला स्तर से आपके द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को राशि पुर्नवंटित की गई है तथा उनके द्वारा ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों को राशि समय-समय पर गत वर्ष में उपलब्ध कराई गई है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि दी गई राशि की समीक्षा समय-समय पर नहीं की गई है.

कुछ जिलों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि वर्ष 2002-2003 की मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की आहरित की गई राशि पंचायतों/नगरीय निकायों में बड़ी मात्रा में बचत में पड़ी है.

कृपया विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला जनपद पंचायतों की बैठक जिला स्तर पर आयोजित की जाकर अपने-अपने विकासखण्डों में अद्यतन स्थिति में बचत राशि का आंकलन आवश्यक रूप से 1 फरवरी, 2004 तक सुनिश्चित किया जाकर उपलब्ध राशि को शिक्षक/पालक संघ के संयुक्त बैंक खातों में हस्तांतरित कराई जाना सुनिश्चित करें तथा प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को भेजें. जिससे इस कार्यक्रम में लगने वाली आवश्यक राशि की पूर्ति संभव हो जायेगी तथा लम्बे समय से पंचायतों के खातों में शेष पड़ी राशि का उपयोग संभव हो सकेगा.

उक्त कार्यवाही समय-सीमा में सुनिश्चित करायी जावे. यदि अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही में रूचि नहीं ली जाती है या उदासीनता बरती जाती है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराया जाय.

हस्ता./-
आयुक्त,
आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश.

पृ. क्र./म. भो.2004/1707 — भोपाल, दिनांक 30-1-04

प्रतिलिपि.—

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आ.जा.क.वि., मध्यप्रदेश.
2. आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश.
3. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु.
4. संबंधित अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु.

हस्ता./-
आयुक्त,
आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश.

कार्यालय, आयुक्त, आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक म. भो./2004/80/1706

भोपाल, दिनांक 30-1-2004

प्रति,

1. संबंधित कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश.
2. सहायक आयुक्त, (संबंधित)
   आदिवासी विकास,
   मध्यप्रदेश.
3. जिला संयोजक, (संबंधित)
   आदिम जाति कल्याण,
   मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत पंचायतों/नगर निकायों के खातों में बचत राशि के संबंध में.

माननीय मुख्य मंत्री की नववर्ष 2004 की घोषणा के संदर्भ में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यान्ह भोजन के संबंध में निर्देश शासन के पत्र क्रमांक/एफ/23/8/94/25/2 भोपाल, दिनांक 8, 9-1-2004 द्वारा तथा आयुक्त आदिवासी विकास के पत्र एम.डी.एम./76/2004/646, दिनांक 13-1-2004 द्वारा आपको दिए गये हैं.

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अन्तर्गत जिला स्तर से आपके द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को राशि पुर्नवंटित की गई है तथा उनके द्वारा ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों को राशि समय-समय पर गत वर्ष में उपलब्ध कराई गई है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि दी गई राशि की समीक्षा समय-समय पर नहीं की गई है.

कुछ जिलों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि वर्ष 2002-2003 की मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की आहरित की गई राशि पंचायतों/नगरीय निकायों में बड़ी मात्रा में बचत में पड़ी है.

कृपया विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला जनपद पंचायतों की बैठक जिला स्तर पर आयोजित की जाकर अपने-अपने विकासखण्डों में अद्यतन स्थिति में बचत राशि का आंकलन आवश्यक रूप से 1 फरवरी, 2004 तक सुनिश्चित किया जाकर उपलब्ध राशि को शिक्षक/पालक संघ के संयुक्त बैंक खातों में हस्तांतरित कराई जाना सुनिश्चित करें तथा प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को भेजें. जिससे इस कार्यक्रम में लगने वाली आवश्यक राशि की पूर्ति संभव हो जायेगी तथा लम्बे समय से पंचायतों के खातों में शेष पड़ी राशि का उपयोग संभव हो सकेगा.

उक्त कार्यवाही समय-सीमा में सुनिश्चित करायी जावे. यदि अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही में रूचि नहीं ली जाती है या उदासीनता बरती जाती है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराया जाय.

हस्ता./-
आयुक्त,
आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश.

पृ. क्र./म. भो.2004/1707

भोपाल, दिनांक 30-1-04

प्रतिलिपि.—

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आ.जा.क.वि., मध्यप्रदेश.
2. आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश.
3. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु.
4. संबंधित अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु.

हस्ता./-
आयुक्त,
आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश.

कार्यालय, आयुक्त, आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक एम.डी.एम./निर्देश/2004/76/2054 — भोपाल, दिनांक 7-2-2004

प्रति,

1. कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश.
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत,
   मध्यप्रदेश.
2. सहायक आयुक्त,
   आदिवासी विकास,
   मध्यप्रदेश.
3. जिला संयोजक,
   आदिम जाति कल्याण,
   मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों को रूचिकर गर्म भोजन प्रदाय करने के संबंध में निर्देश.

संदर्भ.—इस कार्यालय का पत्र क्रमांक एम.डी.एम./76/2004/646, दिनांक 13-1-2004.

मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 23/8/94/25/2, दिनांक 8-1-2004 द्वारा परिवर्तित मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन संबंधी निर्देश प्रसारित किये गये हैं. माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. अतः इस योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित किया जायें.

मध्यप्रदेश में इस योजना अंतर्गत 89 आदिवासी विकासखण्डों में क्रियान्वयन की जिम्मेदारी आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपी गई है तथा इन विकासखण्डों में स्थित सभी शासकीय, शासन से अनुदान प्राप्त तथा स्थानीय निकायों द्वारा चलायी जा रही प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को 3 फरवरी, 2004 से नई व्यवस्था अनुसार गर्म भोजन देना प्रारंभ हो गया है.

योजना का स्वरूप :

मध्यप्रदेश में यह योजना 89 आदिवासी विकासखण्डों में लागू किये जाने की जिम्मेदारी आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपी गई है. यह योजना सम्पूर्ण लक्ष्य क्षेत्र की प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को गर्म भोजन सुरूचिपूर्ण देकर लागू की जायेगी. यह गर्म भोजन तैयार करने का कार्य परिवर्तित व्यवस्था में गुणवत्ता बनाए रखने की दृष्टि से इस व्यवस्था को कार्यान्वित करने का दायित्व ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों के स्थान पर संबंधित शाला के पालक एवं शिक्षक संघ को दिया गया है.

योजना लागू करने की विधि :

15 जनवरी, 2004 से लागू की जा चुकी है, तथा यह योजना जिले के सर्वाधिक पिछड़े ग्राम में 3 फरवरी, 2004 से समस्त लक्ष्य क्षेत्र की प्राथमिक शालाओं में लागू किया जा चुका है.

योजना के क्रियान्वयन के लिये मुख्य बिन्दु :

भोजन व्यवस्था :

बच्चों को गर्म भोजन परोसे जाने की जिम्मेदारी शिक्षक पालक संघ को सौंपी गई हैं. किन्तु संस्था के प्रधान अध्यापक/प्रभारी शिक्षक की भूमिका अहम होगी. अतः कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मुख्य दायित्व प्रधान अध्यापक/प्रभारी शिक्षक के ऊपर होगा. अतः पूरा सजगता एवं निष्ठा से यह कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, इस हेतु कृपया निम्न बातो का ध्यान रखा जाना सुनिश्चित किया जायें :—

1. समस्त छात्र-छात्राओं को गर्म भोजन की व्यवस्था स्कूल/आश्रम परिसर में ही की जाये एवं बच्चों को स्वरूचिपूर्ण भोजन स्कूल/आश्रम परिसर में ही परोसा जायें, इसमें जन-सहयोग भी लिया जाये.

परिवर्तित व्यवस्था अनुसार जिन जिलों में गेहूं दिया जा रहा है वहां 10 दिवस रोटी, सब्जी एवं 10 दिवस दाल-रोटी दी जाये, तथा जिन जिलों में चावल प्रदाय किया जायेगा वहां दाल-चावल एवं सब्जी, दाल, चावल निर्धारित क्रम अर्थात् 10 दिवस दाल, चावल एवं 10 दिवस सब्जी, दाल, चावल बच्चों को गर्म भोजन के रूप में परोसा जाये.

2. **साफ-सफाई.**—प्राप्त गेहूं/चावल को साफ-सुथरे स्थान पर रखा जाये उसे चूहे आदि न खा सकें. खाने पकाने वाले श्रमिक से अगले दिन लगने वाले खाद्यान्न गेहूं/चावल दाल में कंकड़-पत्थर हो तो उन्हें साफ करा लिया जाये.

खाना पकाने के बर्तन प्रतिदिन साफ करायें जायें एवं स्वच्छता रखी जाये तथा भोजन पकाते समय स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखा जाये.

खाने पकाने हेतु स्वच्छ (जल) पानी छानकर उपयोग में लाया जावे तथा बच्चों को पीने का पानी परिसर में ही साफ-सुथरा उपलब्ध कराया जावे.

3. **भोजन पकाने की व्यवस्था**—

(1) गेहूं के पिसाने का कार्य किसी जिम्मेदार कर्मचारी के समक्ष लिया जायेगा तथा स्थानीय तौर पर यह तय किया जायेगा कि कितने दिवस के लिये गेहूं का आटा पिसवाना है यह ध्यान रखा जाय कि आटा खराब न हो और न ही उनमें इल्ली आदि न पड़े. दाल सब्जी पकाते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि दाल छात्रों के रूचिकर बने, इसमें तेल नमक इत्यादि का अनुपात सही-सही हो. सब्जी को स्वच्छ जल में धोकर ही उपयोग में लिया जाये.

(2) भोजन स्कूल परिसर में छात्रों को टाटपट्टी पर बैठाकर दिया जाये जिससे भोजन करने में सुविधा से छात्र बैठकर भोजन कर सकें.

(3) भोजन पकाने हेतु बर्तन पूर्व से उपलब्ध हैं उन्हीं को उपयोग में लिया जाय तथा आवश्यकता होने पर छात्रावास/आश्रम के पुराने उपलब्ध बर्तनों को उपयोग में लिया जा सकता है, इसका भी परीक्षण कर लिया जाये.

(4) रसोई घर स्कूल में ही स्थानीय लोगों के सहयोग एवं जन-मार्गदर्शन से बनाया जा सकता है.

(5) छात्रों को गर्म भोजन नियत समय अर्थात् मध्यान्तर में उपलब्ध कराया जाय, भोजन करने के पूर्व छात्रों को हाथ धोने के लिये प्रेरित किया जाय.

भोजन करने के पूर्व प्रार्थना करने के लिये भी प्रेरित किया जाय.

4. **सामग्री का रख-रखाव एवं भण्डार व्यवस्था**—

(1) प्राथमिक शाला में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की उपस्थिति के मान से माह में लगने वाले खाद्यान्न का आंकलन कर लिया जाय. भारत शासन से प्राप्त हो रहे निःशुल्क खाद्यान्न प्रति हितग्राही 100 ग्राम के मान से अग्रिम रूप में एक सप्ताह या दो सप्ताह या एक माह के लिये जैसे भण्डारण व्यवस्था शाला परिसर में उपलब्ध हो, प्राप्त कर अग्रिम रूप में रखा जा सकता है.

यदि शाला परिसर में खाद्यान्न सामग्री जैसे—गेहूं, चावल, दाल, सब्जी रखने की व्यवस्था न हो तो स्थानीय तौर पर जन-सहयोग से ग्राम पंचायत में सरपंच तथा स्थानीय पालकों के सहयोग से उपलब्ध कराये गये कमरे में रखा जा सकता है. इसके लिये कोई किराया आदि अलग से देय नहीं होगा किन्तु सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे ताला लगाने की व्यवस्था भी ताकि चोरी आदि का भय न हो.

(2) **सब्जी का क्रय.**—यदि ग्राम में ही हरी सब्जी उपलब्ध हो तो क्रय की जा सकती है या फिर नजदीकी ग्राम में लगने वाली हाट से सब्जी एक सप्ताह के लिये क्रय कर आवश्यकता अनुसार रखी जी सकती है जिस प्रकार घर के लिये सब्जी क्रय कर गीले टाट आदि में ढककर रखते हैं उसी प्रकार क्रय की गई सब्जी को सुरक्षित रखा जाय ताकि हरी सब्जी सूखने न पाये तथा उसके पोषक तत्व नष्ट न हो सके.

(3) अन्य सहायक सामग्री जैसे नमक, तेल, जीरा, धनिया, मिर्च, मसाले आदि एक माह या 15 दिवस के लिये आवश्यकता अनुसार क्रय कर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जावें.

(4) खाना पकाने के लिये लगने वाले ईंधन हेतु लकड़ी आदि भी पर्याप्त स्टॉक व्यवस्था पूर्ण रूप से कर ली जाये.

उपरोक्तानुसार जो भी सामग्री का क्रय किया जाय, वह पालक शिक्षक संघ की समिति की माध्यम से किया जाये.

5. **खाद्यान्न स्टॉक पंजी का संधारण.**—प्रति छात्र 100 ग्राम नि:शुल्क प्राप्त खाद्यान्न की प्रविष्टि स्टॉक पंजी में दर्ज की जाय तथा प्रतिदिन लगने वाले खाद्यान्न का उपयोग कर अंकित स्टॉक पंजी में लिया जाकर प्रतिदिन अन्त शेष खाद्यान्न का विवरण अंकित किया जाय. खाद्यान्न का मदवार विवरण पंजी में अंकित किया जाय, जैसे गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, तेल आदि.

6. **कैश बुक का संधारण.**—विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त की गई राशि शिक्षक पालक संघ/प्रधान अध्यापक के संयुक्त बैंक खाते में रखी जाय, तथा आवश्यकता अनुसार एक सप्ताह या 15 दिवस के लिये बैंक से निकाल कर आवश्यक सामग्री का क्रय किया जाय. नगद राशि कैश बुक पंजी में दर्शाई जाय, तथा प्रतिदिन व्यय की गई राशि का पूर्ण ब्यौरा अंकित किया जाकर प्रतिदिन अन्त शेष अंकित किया जाय, ताकि निरीक्षण के समय यह ज्ञात हो सके कि हिसाब-किताब ठीक से रखा जा रहा है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है.

जो भी सामग्री नगद में क्रय की जाय उसके नगद व्हाउचर्स रसीद आदि सुरक्षित रखी जाय, स्टॉक पंजी/कैश बुक का सत्यापन हर पन्द्रह दिवस में शिक्षक पालक संघ प्रधान अध्यापक द्वारा किया जाय. खाद्यान्न एवं राशि व्यय का पूर्ण ब्यौरा निर्धारित संलग्न प्रपत्र में आवश्यक रूप से प्रतिमाह विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को निर्धारित तिथि तक भेजी जाना सुनिश्चित किया जाये.

हस्ता./-
अपर आयुक्त,
आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश.

पृ. क्र./एम.डी.एम./निर्देश/2004/76/2055

भोपाल, दिनांक 7-2-2004

प्रतिलिपि.—

1. प्रमुख सचिव, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.
2. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.
3. श्री पंकज राग, समन्वयक (एम.डी.एम.) राजीव गांधी मिशन.
4. आयुक्त, शिक्षा विभाग, भोपाल (मध्यप्रदेश).

हस्ता./-
अपर आयुक्त,
आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश.

मध्यप्रदेश शासन

आदिम जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक डी/1379ए/743/03/25/2 भोपाल, दिनांक 6-12-2003

प्रति,

आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

विषय.—फूड फार एजुकेशन अर्थात् शिक्षा के लिये भोजन.

संदर्भ.—आपकी टीप यू. ओ. क्र. 14474, दिनांक 13-10-2003.

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन के अतिरिक्त प्रायोगिक तौर पर विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा के लिये भोजन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के दो जिलों क्रमशः झाबुआ एवं बड़वानी में कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्र-छात्राओं को माह दिसम्बर, 2003 से अतिरिक्त रूप से इंडिया मिक्स फूड उपलब्ध कराने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली निःशुल्क सामग्री के परिवहन, सामग्री हैण्डलिंग एवं स्टोरेज पर होने वाले व्यय रुपये 490.42 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(3) मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु पारिश्रमिक पुर्वानुसार ही रखा जाय, इसके लिये अतिरिक्त रूप से कोई राशि देय नहीं होगी.

(4) उक्त पर होने वाला व्यय मांग संख्या-82-मुख्य शीर्ष-2226 पोषाहार पंचायती राज्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता 02-पौष्टिक खाद्यों एवं पेयों का वितरण 101-विशेष पोषाहार कार्यक्रम 0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 5169-विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम आर्थिक सहायता, आर्थिक अनुदान मद अन्तर्गत बजट अनुदान 2003-2004 में उपलब्ध बचत के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

(5) उक्त योजना का अनुमोदन वित्तीय व्यय समिति द्वारा दिनांक 12-11-2003 को आयोजित बैठक में किया गया है.

(6) यह स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा क्रमांक एफ 2-2/2002/नियम/चार, दिनांक 30-9-2002 से पृष्ठांकन के लिये दिये गये अधिकार के अन्तर्गत जारी की गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. एस. खैरवार)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति कल्याण विभाग.

पृ. क्रमांक डी/. . . . . ./743/03/25/2 भोपाल, दिनांक . . . .

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.
3. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल.
4. सुश्री निर्मला गुप्ता, निदेशक विश्व खाद्य कार्यक्रम, राज्य कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

हस्ता./-
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति कल्याण विभाग.

कार्यालय, आयुक्त, आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक एम.डी.एम./वि.खा.कार्य./2003/89/232 भोपाल, दिनांक 5-1-2004

प्रति,

कलेक्टर,
बड़वानी/झाबुआ,
मध्यप्रदेश.

विषय.—''फूड फार एजुकेशन'' अर्थात् शिक्षा के लिये भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश.

राज्य शासन द्वारा ''फूड फार एजुकेशन'' अर्थात् शिक्षा के लिये भोजन कार्यक्रम प्रायोगिक तौर पर मध्यप्रदेश के न्यूनतम साक्षरता वाले जिले झाबुआ एवं बड़वानी में संचालित प्राथमिक शालाओं/आश्रमों के कक्षा एक से पांचवीं तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिये लागू की गई है.

2. योजना का उद्देश्य झाबुआ एवं बड़वानी जिले में साक्षरता को बढ़ाने एवं पुरुष साक्षरता तथा महिला साक्षरता के बीच के अन्तर को कम कराने एवं छात्र/छात्राओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिये लागू की गई है.

3. परियोजना भारत सरकार जनजातीय, कार्य मंत्रालय तथा ''वर्ल्ड फूड प्रोग्राम'' द्वारा मिलकर तैयार की गई है. योजनान्तर्गत कक्षा एक से पांचवीं तक की प्राथमिक शालाओं, आश्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के नास्ते के लिये विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा तैयार किया गया 100 ग्राम इण्डिया मिक्स रेडी टू ईट प्रति हितग्राही प्रतिदिन के मान से 200 दिवसों हेतु नि:शुल्क उपलब्ध कराया जावेगा.

4. झाबुआ तथा बड़वानी जिले में संचालित प्राथमिक शालाओं/आश्रमों में पूर्व से रोजगार आश्वासन योजनान्तर्गत मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है. उन्हीं प्राथमिक शालाओं/आश्रमों में अध्ययनरत कक्षा एक से पांचवीं के छात्र/छात्राओं को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत दिये जा रहे दोपहर के भोजन कार्यक्रम के पूर्व (दोपहर के पूर्व सुबह) ''फूड फार एजुकेशन'' योजनान्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा प्रदत्त इंडिया मिक्स रेडी टू ईट नाश्ता उपलब्ध कराया जावेगा. अर्थात् दोनों ही योजनाएं संचालित रहेंगी.

5. योजनान्तर्गत 200 दिवस सुबह का नाश्ता वितरित किया जावेगा. बशर्ते इन छात्र/छात्राओं की प्रतिमाह कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति शाला में रहे.

6. विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना द्वारा नि:शुल्क इंडिया मिक्स रेडी टू ईट के रूप में नाश्ता नि:शुल्क उपलब्ध कराया जावेगा तथा अन्य व्यय से खाद्यान्न की ढुलाई व्यय, स्टोरेज एवं रख-रखाव आदि का व्यय राज्य शासन वहन करेगा.

7. **परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में अन्य निर्देश निम्नानुसार हैं :—**

1. 100 ग्राम इंडिया मिक्स प्रति हितग्राही के मान से विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा नि:शुल्क दिया जायेगा.
2. परियोजना आगामी पांच शैक्षणिक वर्षों के लिये प्रस्तावित है.
3. वर्ष में शैक्षणिक कार्य दिवस 200 माने गये हैं.
4. प्रतिवर्ष छात्र/छात्राओं की संख्या में वृद्धि दर 10 प्रतिशत मानी जावेगी.
5. परियोजना के लिये अतिरिक्त स्टाफ स्वीकृत न करते हुए वर्तमान स्टाफ से ही कार्य करवाया जावेगा.
6. 'इंडिया मिक्स' उपयोग करने की स्थिति में स्टोरेज एवं हैंडलिंग चार्ज वास्तविक व्यय देय होगा.
7. परियोजना के संचालक के लिये प्रशिक्षण मानिटरिंग एवं वेल्युशन के लिये कोई राशि देय नहीं होगी.

8. **सामान्य रणनीति :**

1. खाद्य सामग्री इंडिया मिक्स राज्य में एक केन्द्र (वर्तमान में उदयपुर संयंत्र में) व इंदौर से जिला मुख्यालय पर प्राप्त होगी. इसका तात्पर्य है कि आदिवासी कल्याण विभाग को जिला मुख्यालय वेतन केन्द्र/वितरण केन्द्र से सामग्री पहुंचाने हेतु परिवहन की व्यवस्था करनी होगी.
2. खाद्य सामग्री (इंडिया मिक्स) का वेतन केन्द्र एवं शाला स्तर पर सामग्री में उचित भण्डारण की व्यवस्था हेतु विकासखण्ड शिक्षा

अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे तथा जिला स्तर पर सहायक आयुक्त जिम्मेदार रहेंगे. संबंधित अधिकारियों द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम (वर्ल्ड फूड प्रोग्राम) द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सामग्री का लेखा दोनों स्थानों पर रखा जावेगा.

3. प्राथमिक शालाओं को सुबह के नाश्ते के लिये दिये जाने वाली सामग्री 'इंडिया मिक्स' के समय का निर्धारण आवश्यकता अनुसार इंगित अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा. सामान्यत: शाला खुलने के एक घंटे के अन्दर एवं मध्यान्ह भोजन के निर्धारित समय के दो घण्टे पूर्व यह वितरण किया जाएगा.

4. प्रत्येक चिन्हित स्कूल में सुबह का नाश्ता वितरित करने की जिम्मेदारी संबंधित प्रधान पाठक या मध्यान्ह भोजन प्रभारी की होगी.

5. प्राथमिक शालाओं के लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या तथा उपस्थिति एवं वितरण आदि की जानकारी निर्धारित प्रपत्रों में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी प्रत्येक माह की एक से 5 तारीख तक तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एकजाई जानकारी माह की 10 तारीख तक सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को निर्धारित समयावधि में मासिक व्यय प्रगति विवरण भेजेंगे तथा जिला अधिकारी उक्त एकजाई जानकारी संकलित कर प्रत्येक माह की 15 तारीख तक आयुक्त आदिवासी विकास को भेजना सुनिश्चित करेंगे.

9. **प्रशिक्षण.**—झाबुआ एवं बड़वानी जिले के स्त्रोत शिक्षकों का प्रशिक्षण पूर्व में हो चुका है. अत: वितरण केन्द्र के प्रभारी शिक्षकों का प्रशिक्षण यदि अब तक आयोजित नहीं किया गया हो तो यह प्रशिक्षण तत्काल आयोजित कर लिया जाए.

10. **सामग्री का परिवहन.**—जिला मुख्यालय में वेतन केन्द्र/विकासखण्ड व वितरण केन्द्र तक सामग्री के परिवहन की व्यवस्था तत्काल करनी होगी. अत: इसके लिये निविदाएं आमंत्रित कर दरों की स्वीकृति शीघ्र कर ली जाए ताकि सामग्री प्राप्त होते ही परिवहन की व्यवस्था हो सकें एवं विलंब न हो.

11. उक्त परियोजना के संचालन व्यवस्था अन्तर्गत जिला स्तर पर आदिम जाति कल्याण विभाग का सहायक आयुक्त अपने दायित्वों के साथ-साथ इस परियोजना की सतत् समीक्षा के लिये तथा अपने जिले में इस परियोजना के समस्त कार्यों के लिये जिम्मेदार रहेंगे. विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में यह कार्यक्रम चलाया जायेगा.

12. झाबुआ एवं बड़वानी जिलों में पौषाहार कार्यक्रम अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग को पूर्व में विभाग से हस्तांतरित किये गये "केयर गोदाम" से इस विभाग को पुन: वापस हस्तांतरित किये गये केयर के गोदामों में "इण्डिया मिक्स" रखा जाय.

उक्त निर्देशों का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित करावें.

हस्ता./-
आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश.

पृ. क्र./एम.डी.एम./2003/233 — भोपाल, दिनांक 5-1-2004

प्रतिलिपि :

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण, मंत्रालय भोपाल, मध्यप्रदेश.
2. निर्देशक, विश्व खाद्य कार्यक्रम मध्यप्रदेश. कार्यालय ई-7/83 अशोक, हाऊसिंग सोसायटी, अरेरा कालोनी, भोपाल—462016 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.
3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास .... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु.
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, आदिवासी विकासखण्ड .... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु.

हस्ता./-
आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश.

क्रेमुभो—2131—आआवि—9-2-02—1000.